

Sl.No. 118/2011.

Eastern Railway
Kolkata-700001

No.E.740./Gaz/Misc/Pt.VIII

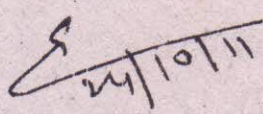
Kolkata, dated 24.10.2011

All Concerned

Sub:- Inclusion of four Institutes/Societies (1) Society for Human Resource Management (SHRM)
(2) National HRD Network (3) Indian Society for Training & Development (ISTD) & (4) Academy of Management.

A copy of Railway Board's letter No. E(G)2010 FE-1-2 dated 30.09.2011, in connection with the above, is forwarded herewith, for information, Guidance, and necessary action please. Board's earlier letter No. E(G)83 FE 1-4 dated 29.04.88 mentioned therein, was circulated vide this office letter No.E.740/Gaz/Misc/Pt.III(88) dated 12.08.1988.

DA:- As above.


(S.S Roy)
Asstt. Personnel Officer(Gaz)
for Chief Personnel Officer

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRA/LAYA
RAILWAY BOARD

RBI No: 135/2011

NO:E(G)2010 FE-1-2

New Delhi, Dated: 30.09.2011

The General Managers,
All Indian Railways & Production Units.
(Others: As per standard list)

Sub: Inclusion of four Institutes/Societies (1) Society for Human Resource Management (SHRM) (2) National HRD Network (3) Indian Society for Training & Development (ISTD) & (4) Academy of Management.

Ministry of Railways have decided that four Institutes/Societies (1) Society for Human Resource Management (SHRM) (2) National HRD Network (3) Indian Society for Training & Development (ISTD) & (4) Academy of Management be incorporated in the 1st of Annexure-A, circulated vide Board's letter No. E(G) 83 FE 1-4 dated 29.04.88. This will entitle Railway officials to 90% reimbursement of membership of these Institutes/Societies.

This issues with the concurrence of the Finance Directorate of Ministry of Railways.

RBE 204/2004
16.9.84
E(4)2004 FE 1-5

(MADAN LAL)
Jt. Director, Esst.(Genl.)
Railway Board.

NO:E(G)2010 FE-1-2

New Delhi, Dated: 30.09.2011

Copy to Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No:224, Rail Bhawan, New Delhi.(with 46 spares).

FOR FINANCIAL COMMISSIONER/RAILWAYS.

NO:E(G)2010 FE-1-2

New Delhi, Dated: 30.09.2011

Copy forwarded to :

1. FA & CAO, All Indian Railways and Production Units.
2. Joint Director (Finance), RDS, Lucknow.
3. General Secretary, IRCA, New Delhi.
4. Director General, Railway Staff College, Vadodara.
5. The Director, IRICEN/Pune, IRIEN/Nasik, IRISSET/Secunderabad.

IRIMEE/Jamalpur,

(MADAN LAL)
Jt. Director, Esst.(Genl.)
Railway Board.

~~आरबीई~~ सं. 118/2011

पूर्व रेलवे
कोलकाता-700001

सं. ई/740/गज/मिस/पार्ट-VI11/हिन्दी

दिनांक 24.10.2011

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलों एवं उत्पादन इकाइयां।
(अन्य मानक सूची के अनुसार)

विषय :- (1) सोसाइटी फार झूमन रिसार्स मैनेजमेंट (एस एच आर एम) और (2) नेशनल
एचआरडी नेटवर्क (3) इंडियन सोसायटी फार ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट
(आईएसटीडी) एवं (4) अकादमी ऑफ मैनेजमेंट नामक चार संस्थानों/
सोसायटियों को सूची में शामिल करना।

उपर्युक्त के संबंध में रेलवे बोर्ड की पत्र सं. ई (जी) 2010 एफ ई-1-2 दिनांक 30.01.2011
एतदरूप से सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित की जाती है। उसमें उल्लेख की गई
बोर्ड की पूर्ववर्ती पत्र संख्या ई (जी) 83 एफ ई 1-4 दिनांक 29.04.88 के कार्यालय की पत्र सं. ई
740/गजेट/मिस/पार्ट III (88) दिनांक 12.08.1988 के तहत परिपत्रित की गई थी।

सलग्न - यथोक्त

(एस.एस.राय)

सहायक कार्मिक अधिकारी (राज.)
कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं/35/2011

सं. ई (जी) 2010 एफई-1-2

नई दिल्ली, दिनांक 30.09.2011

महाप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयाँ।

(अन्य: मानक सूची के अनुसार)

विषय: (1) सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट (एसएचआरएम) और (2) नेशनल एचआरडी नेटवर्क (3) इंडियन सोसायटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट (आईएसटीडी) एवं (4) अकादमी ऑफ मैनेजमेंट नामक चार संस्थानों/सोसायटियों को सूची में शामिल करना।

रेल मंत्रालय ने विनिश्चय किया है कि (1) सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट (एसएचआरएम) (2) नेशनल एचआरडी नेटवर्क (3) इंडियन सोसायटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट (आईएसटीडी) एवं (4) अकादमी ऑफ मैनेजमेंट नामक चार संस्थानों/सोसायटियों को बोर्ड के 29.04.88 के पत्र सं. ई(जी) 83 एफई 1-4 द्वारा परिपत्रित अनुबंध-क की सूची में शामिल किया जाए। इससे रेलवे अधिकारी इन संस्थानों/सोसायटियों की सदस्यता के 90% प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

मदन लाल
(मदन लाल)

संयुक्त निदेशक, स्था. सामान्य)
रेलवे बोर्ड

सं. ई (जी) 2010 एफई-1-2

नई दिल्ली, दिनांक 30.09.2011

जो लिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली को प्रेषित (46 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें